

भारतीय संविचान में संशोधन प्रक्रिया

संविचान संशोधन की प्रक्रिया → समय के साथ संविचान के प्रावचानों का संशोधन होता रहता था। अन्यथा वह धरने जानी लगती। प्रकृति से संविचान नमनशील आलचीला हो जाता है। संशोधन पुणाली का प्रावचान होता है। यदि वह पुणाली सरल है तो उपनी प्रकृति से संविचान नमनशील आलचीला होता है। संशोधन का बिल संसद से साम्यारण लड़ता है। इसे पास होकर विभागप्रबंध का अनुमति पाकर कानून बन जाता है। संशोधन का बिल संसद से साम्यारण लड़ता है। संसद द्वारा निर्मित साम्यारण आ निर्णय में अन्तर नहीं होता। विहित संविचान इसका शोषण लड़ता है। यदि वह संशोधन, पुणाली बहुत कठिन है तो उपनी प्रकृति से संविचान कठोर हो जाता है।

संविचान की संशोधन पुणाली का लड़ावदान करते से भवित होता है कि इसमें अधिकापन व कठोरता का लड़ाव घिरता है। इसके कुछ प्रावचानों को संसद संसदार्थी लड़ता है। यह बिल पास करके बहल सकती है। यह प्रावचानों को संसद बहल सकती है। यह एसा बिल होना सही से विशेष। बहुत से कम जात्य राजपों का समर्थन भी मिलना चाहिए। उपनी की वार्ता संविचान की प्रमुख विशेषता है।

हर संविचान की उपनी विशेषताएँ होती हैं, जिन्हें देखकर उसका सम्पूर्ण व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकती है। यहाँ बात भारत के संविचान के बारे में कही जा सकती है। हम भारत के लोगों ने भारत के लोगों की लिए बनाया है।